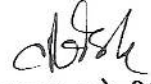


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.3(ख)(एल 588/88)लिंक न.5909/अलेसे-11/2016-166 दिनांक 03.02.2014

कार्यालय आदेश

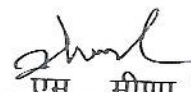
श्री लियाकत अली चौहान, लेखाकार, लिंक न. 5909, मेरिट न. 588/1988 हॉल पदस्थापित कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर जिनकी जन्म तिथि 16.05.1962 है, ने अपना नाम लियाकत अली चौहान के परिवर्तित कर लियाकत अली खान कराने का अनुरोध किया है तथा इन्होंने राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 के अनुसार राजस्थान राज-पत्र (गजट) साधारण भाग संख्या 7 दिनांक 31.10.2013 में प्रकाशित बन्ध पत्र द्वारा परिवर्तित नाम लियाकत अली खान, किये जाने की घोषणा के क्रम में एतद् द्वारा परिवर्तित नाम श्री लियाकत अली खान नामकित किये जाने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:एफ.3(ख)(एल 588/88)लिंक न.5909/अलेसे-11/2016-166 दिनांक 03.02.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर
5. श्री लियाकत अली खान, (लिंक न. 5909) लेखाकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर
6. उप निदेशक, (ए.सी.पी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस में आवश्यक संशोधन कर आगामी रिकार्ड संधारण हेतु ।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली


(के . एम . मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक प्रथम)